संख्या–सा–3–84 वी0आई0पी0 / दस–2009

प्रेषक,

बी0 एन0 दीक्षित,
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ / मुख्य कोषाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनॉक : 12 अक्टूबर, 2009

विषय :– **वेतन समिति उत्तर प्रदेश 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनॉक 01–01–2006 के पूर्व / उपरान्त सेवानिवृत्त / मृत कार्मिकों की पेशंन पुनरीक्षण के फलस्वरूप 40 प्रतिशत अवशेष देय के भुगतान के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति उत्तर प्रदेश 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनॉक 01–01–2006 के पूर्व / उपरान्त सेवानिवृत्त / मृत कार्मिकों की पेशंन पुनरीक्षण के पश्चात् अवशेष देय के 40 प्रतिशत का भुगतान वित्तीय वर्ष 2009–10 में किए जाने की व्यवस्था संगत शासनादेशों दिनॉक 08–12–2008 में की गयी है किन्तु ऐसा ज्ञात हुआ है कि अभी तक उक्त भुगतान नहीं किया जा रहा है।

2– इस संबंध में अनुरोध है कि कृपया राजकीय पेंशनर्स की 40 प्रतिशत एरियर की धनराशि का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में तत्काल प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(बी0एन0 दीक्षित)
सचिव, वित्त।

संख्या–सा–3–84 वी0आई0पी0(1) / दस–2009, तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1)– निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
(2)– निदेशक, पेंशन, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,

(हेमन्त कुमार सक्सेना)
विशेष सचिव।